फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

वेदप्रकाश बनाम **हजारीराम**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 86 सन–2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
31.07.2020	प्रार्थी / सायल की ओर से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र सायल अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अरथाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण / गैरसायलान इस आश्य की जारी की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 643 / 542 की कुल 4.4670हैक्ट में से गैरसायल न0 1 के हिस्से 17333 / 22335 भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी तक बनाई रखी जावे। रास्ते खाला पर स्थगन आदेश लागू नही होगा। यदि इस सम्बध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निधार्रित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायइी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 05.10.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	Vedprakash
5.10.20	वकील सायल व सायल उपस्थित निवेदन किया कि वह अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहता है खारिज करावें। वादी स्वयं अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहता है प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर के पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नोहर	प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे चलाना नहीं चाहता हूँ (हस्ताक्षर) 5.10.2[illegible]

Scanned with CamScanner